भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2523

(शुक्रवार, 9 मार्च, 2018/18 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया गया)

सीएसआर की निगरानी

2523. श्री राजेन्द्र अग्रवालः
कर्नल सोनाराम चैधरीः
श्री भीमराव बी. पाटीलः
श्री हेमन्त तुकाराम गोडसेः
श्री कलिकेश एन. सिंह देवः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी एवं निजी, दोनों तरह की कंपनियों ने अपने लाभ का एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के रूप में कल्याणकारी विकास कार्यकलापों पर अनिवार्य रूप से खर्च किया है;
(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उपयोग की गई राशि एवं तेल अन्वेषण कंपनियों सहित सरकारी एवं निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा किए गए प्रमुख कार्यकलापों/कार्यक्रमों का ओडिशा सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या निजी एवं सरकारी कंपनियों द्वारा खर्च की गई राशि के संबंध में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;
(घ) क्या सरकार ने सीएसआर के प्रभावी कार्यान्वयन, सीएसआर मानदंडों के अनुपालन पर जोर दिया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने सीएसआर निधियों का उचित उपयोग करने एवं उसके अंतर्गत कार्यकलापों की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सीएसआर के अंतर्गत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन-पूर्व एवं कार्यान्वयन-पश्चात् निगरानी के लिए किसी समिति/प्राधिकरण/निगरानी तंत्र का गठन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135 में निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक टर्नओवर, या निवल मूल्य या निवल लाभा वाली प्रत्येक कंपनी के लिए तत्काल पूर्व तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत निवल लाभ का कम से कम 2% भाग इस अधिनियम की अनुसूची-VII में निर्दिष्ट कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों पर खर्च करना अनिवार्य किया गया है।

(ख) और (ग): इस मंत्रालय द्वारा पब्लिक या प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों द्वारा सीएसआर पर खर्च की गई राशि के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है क्योंकि इस अधिनियम में सीएसआर की मॉनीटरिंग कंपनी को बोर्ड द्वारा किया जाना अपेक्षित है। तथापि, तेल कंपनियों सहित सभी कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में 30.11.2017 तक की गई फाइलिंग के अनुसार वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:-

तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किया गया सीएसआर व्यय

क्र.सं.	कंपनी का प्रकार	वित्तीय वर्ष 2014-15 (करोड़ रुपए में)	वित्तीय वर्ष 2015-16 (करोड़ रुपए में)	वित्तीय वर्ष 2016-17 (करोड़ रुपए में)
1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	2673.85	4163.09	1325.83
2	प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां	6890.92	9664.77	3393.17
	कुल	**9564.77**	**13827.86**	**4719.00**

कंपनियों द्वारा सीएसआर पर किया गया राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार और विकास क्षेत्र-वार विवरण क्रमश: अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II पर दिया गया है।

(घ): इस मंत्रालय ने कंपनियो और व्यावसायिकों द्वारा सीएसआर प्रावधान के प्रभावी कार्यान्वयन में सुविधा की दृष्टि से दिनांक 18.06.2014 और 12.01.2016 को क्रमश: स्पष्टीकरण परिपत्र और बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त कंपनियों द्वारा सीएसआर प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन क्षेत्रीय निदेशक कार्यालयों द्वारा जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। इस मंत्रालय ने 19.01.2018 को राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल शुरू किया है जो कि कारपोरेट भारत में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

(ड.): जी, नहीं।

*****

अनुलग्नक-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2523 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान किए गए सीएसआर व्यय का राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार विवरण

सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)				
क्र.सं.	**राज्य/संघ शासित क्षेत्र**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.29	0.54	0.07
2	आन्ध्र प्रदेश	403.91	1,220.54	101.69
3	अरुणाचल प्रदेश	11.03	1.49	7.98
4	असम	133.07	166.81	38.28
5	बिहार	36.20	108.15	36.90
6	चंडीगढ़	1.73	5.08	4.17
7	छत्तीसगढ़	158.89	236.22	14.85
8	दादर एवं नगर हवेली	2.54	12.03	1.65
9	दमन एवं दीव	20.05	2.13	0.83
10	दिल्ली	214.24	468.18	229.87
11	गोवा	26.60	30.25	10.54
12	गुजरात	296.53	550.98	152.04
13	हरियाणा	176.29	364.22	107.87
14	हिमाचल प्रदेश	9.30	51.71	10.57
15	जम्मू और कश्मीर	40.57	103.02	27.83
16	झारखंड	75.86	115.70	24.24
17	कर्नाटक	382.79	730.64	202.71
18	केरल	64.30	129.24	50.94
19	लक्ष्यद्वीप	0.00	0.30	0.00
20	मध्य प्रदेश	137.15	178.94	213.48
21	महाराष्ट्र	1,372.34	1,810.45	702.37
22	मणिपुर	1.57	5.93	6.03
23	मेघालय	3.52	3.86	2.99
24	मिजोरम	1.03	1.08	0.08
25	नागालैंड	1.11	0.95	0.45
26	ओडीशा	249.50	604.26	191.43
27	पुदुचेरी	1.81	6.31	3.71
28	पंजाब	53.86	68.17	20.17
29	राजस्थान	271.36	472.46	84.99
30	सिक्किम	1.03	1.90	2.12
31	तमिलनाडु	498.89	597.60	202.53
32	तेलंगाना	94.89	248.57	64.56
33	त्रिपुरा	1.16	1.47	0.60
34	उत्तर प्रदेश	138.64	406.93	120.34
35	उत्तराखंड	69.99	71.50	30.74
36	पश्चिम बंगाल	178.61	399.89	121.12
37	समस्त भारत*	4,434.12	4,650.39	1,928.26

	कुल योग	**9,564.77**	**13,827.86**	**4,719.00**

*कंपनियों ने या तो राज्यों का नाम नहीं बताया है या एक से अधिक राज्य का उल्लेख किया है जहां परियोजनाएं शुरू की गईं।

*****

अनुलग्नक-II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2523 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय

सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)				
क्र.सं.	**क्षेत्र**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
1	स्वास्थ्य/भूखमरी, गरीबी और कुपोषण का निवारण/ सुरक्षित पीने का पानी/स्वच्छता	2,382.27	4,330.21	1,201.37
2	शिक्षा/विक्लांगजन/जीविका	3,021.47	4,689.81	1,605.05
3	ग्रामीण विकास	1,031.02	1,327.57	628.56
4	पर्यावरण/पशु कल्याण/संसाधनों का संरक्षण	812.31	901.80	306.68
5	स्वच्छ भारत कोष	94.52	323.24	89.35
6	अन्य कोई निधि	272.58	322.63	137.70
7	लैंगिक समानता/महिला सशक्तिकरण/वृद्धाश्रम/ असमानता हटाना	172.63	331.50	122.60
8	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	211.04	206.08	109.81
9	खेलों को प्रोत्साहन	53.36	134.76	51.73
10	विरासत कला और संस्कृति	113.62	114.90	49.64
11	स्लम विकास क्षेत्र	101.07	13.60	1.97
12	निर्मल गंगा कोष	4.64	32.52	22.97
13	अन्य क्षेत्र (सशस्त्र सेनाओं को प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर और लाभ, प्रशासनिक ऊपरी खर्च तथा अन्य*)	1,294.24	1,099.24	391.57
	कुल (करोड़ रुपये में)	**9,564.77**	**13,827.86**	**4,719.00**

*निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

*****